न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1111/2024

अनवान : –

1. नाजम खान पुत्र शकरू खा जाति कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांकः** -18/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 196/180 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/20 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 180/180 की कुल 10.3350 हैक्ट भूमि में से 6287/165360 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम नाजम खां पुत्र शकरू खां है जो की वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के आधार पर निजाम खां के स्थान पर नाजम खान दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शुद्धिकरण करने पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में ना तो कोई हिस्सा कम होगा और ना ही कोई हिस्सा ज्यादा होगा।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही तस्लीम कर लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तक तो आजकल करते रहे अंत मे इंकार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि उक्त नाम प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में विरासतन दर्ज ... प्रार्थी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां के स्थान पर नाजम खान पुत्र शकरू खां किया जाना ... है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:43 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि में वादी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम नाजम खां पुत्र शकरू खां है जो की वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादी को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि के आधार पर निजाम खां के स्थान पर नाजम खान दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 196/180 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/20 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 180/180 की कुल 10.3350 हैक्ट भूमि में से 6287/165360 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां दर्ज है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम नजाम खान पुत्र शकरू खां है। तहसीलदार नोहर द्वारा भी प्रार्थी का नाम निजाम खां के स्थान पर नाजम खान किया जाना उचित की अनुशंषा की गई है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं उप तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एंव उप तहसीलदार रामगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 196/180 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/20 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 180/180 की कुल 10.3350 हैक्ट भूमि में से 6287/165360 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में **वादी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां के स्थान पर नाजम खान पुत्र शकरू खां** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच निजाम खां पुत्र शकरू खां के नाम से विचाराधीन हो या किसी संस्था आदि का निजाम खां पुत्र शकरू खां से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:43 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1111/2024
अनवान : –

1. नाजम खान पुत्र शकरू खा जाति कायमखानी निवासी दीपलाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1111 सन 2024 निर्णय दिनांक -18/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 196/180 की कुल 0.7590 हैक्ट भूमि में से 1/20 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 20 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 180/180 की कुल 10.3350 हैक्ट भूमि में से 6287/165360 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं, में **वादी का नाम निजामखां पुत्र शकरूखां के स्थान पर नाजम खान पुत्र शकरू खां** के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच निजाम खां पुत्र शकरू खां के नाम से विचाराधीन हो या किसी संस्था आदि का निजाम खां पुत्र शकरू खां से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम निजाम खां पुत्र शकरू खां ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:53:43 IST
Reason: SelfAttested